<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>1.04.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने 31-03-2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष नर्मदा शीत गृह के स्वामी राम पाटीदार और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर किया है। माननीय विशेष न्यायालय ने उसी दिन राम पाटीदार और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत राम पाटीदार और अन्य के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक को कथित रूप से धोखा देने और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आरोप में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि राम पाटीदार ने नर्मदा शीत गृह के नाम पर एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा के निर्माण के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 3.50 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया था। हालांकि, ऋण राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए करने के बजाय, धनराशि को उनके द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित कई खातों और अन्य संबंधित व्यक्तियों, जैसे परमानंद पाटीदार, महिंद्रा पाटीदार, मिथुन डावर और अन्य के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन अवैध गतिविधियों के परिणामस्वरूप, राम पाटीदार और अन्य आरोपियों ने पंजाब नेशनल बैंक को 3.36 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान पहुंचाया, जबकि स्वयं इसके अनुरूप अनुचित लाभ अर्जित किया।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में लगभग 4 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था।